28
शिल्पकार प्रशिक्षण

28.1 श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईटी) ने देश में प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक विकास के लिए कुशल जनशक्ति पूर्ति हेतु विभिन्न व्यावसायिक व्यवसायों में कौशल प्रदान करने के लिए लगभग 50 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (औ0प्र0सं0) की स्थापना करके 1950 में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना आरम्भ की। पश्चिम एशिया में तेल क्षेत्र में हुई सहसा वृद्धि एवं भारत से उस क्षेत्र में कुशल जनशक्ति के निर्यात के कारण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वृद्धि का दूसरा चरण आरम्भ हुआ । 1980 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 831 थी तथा 1887 में यह बढ़कर 1887 हो गई । 1990 के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तथा इस समय 6.97 लाख सीटों की क्षमता वाले 4751 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (1826 सरकारी क्षेत्र में तथा 2925 निजी क्षेत्र में) हैं। 30 जून, 2003 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/ औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में बैठने की क्षमता सहित राज्यवार वितरण अनुबंध- 28.1 में दिया गया है ।

28.2 भारत के संविधान के अंतर्गत, व्यावसायिक प्रशिक्षण, केन्द्र तथा राज्य सरकारों दोनों का समवर्ती विषय है । राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण योजनाओं का विकास करना, नीति तैयार करना, प्रशिक्षण मानकों, प्रक्रियाओं का निर्धारण करना, व्यवसाय परीक्षाओं का आयोजन करना, प्रमाणीकरण, इत्यादि केन्द्र सरकार का दायित्व है जबकि प्रशिक्षण योजनाओं को कार्यान्वित करने का दायित्व अधिकाशत: राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों का है । केन्द्र सरकार को, नियोक्ताओं, कामगारों तथा केन्द्र / राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों वाले एक त्रिपक्षीय निकाय राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) द्वारा परामर्श दिया जाता है । इस प्रकार की परिषदों को राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् कहा जाता है तथा इनकी स्थापना इसी उद्देश्य के लिए सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा, राज्य स्तरों पर की जाती है । इसी प्रकार की परिषदें जिन्हें राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एससीवीटी) के नाम से जाना जाता है, राज्य स्तरों पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इसी उद्देय हेतु गठित की जाती हैं ।

योजना का उद्देश्य :

- कुशल कामगारों को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना ।
- सम्भावित कामगारों के सुव्यवस्थित प्रशिक्षण के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन की गुणवत्ता एवं मात्रा में वृद्धि करना ।
- शिक्षित युवाओं को औद्योगिक रोजगार हेतु उपयुक्त कौशल से लैस करके उनकी बेरोजगारी को दूर करना ।

योजना की प्रमुख विशेषताएं :-

- देशभर में व्यापार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों के माध्यम से 98 व्यवसायों अर्थात 49 इंजीनियरिंग (सेवा क्षेत्र में 27 एवं विनिर्माण क्षेत्र में 22) तथा 49 गैर-इंजीनियरिंग व्यवसायों (सेवा क्षेत्र में 41 तथा विनिर्माण क्षेत्र में 8) में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । व्यवसायों की सूची रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के वैबसाइट www.dget.nic.in में उपलब्ध है ।
- विभिन्न व्यवसायों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर, प्रशिक्षण की अवधि 6 माह से 3 वर्षों की है तथा प्रवेश के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा पास से 12वीं कक्षा पास है (जहाँ सातवी कक्षा में टर्मिनल परीक्षा होती है वहाँ सातवीं कक्षा पास ।)
- प्रशिक्षण अवधि का लगभग 70% व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए नियत किया गया है जबकि शेष समय व्यवसाय सिद्धांत, कार्यशाला गणन एवं विज्ञान, इंजीनियरिंग ड्राइंग, सूचना प्रौद्योगिकी प्राइमर-1, पर्यावरण विज्ञान एवं परिवार कल्याण सहित समाजिक अध्ययन संबंधी विषयों के लिए निर्धारित किया गया है।
- सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण नि:शुल्क प्रदान किया जाता है। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में समस्त प्रशिक्षुओं को वृत्तिका तथा कार्यशाला की वर्दी देने का प्रावधान है। उन्हें पुस्तकालय, खेल-कूद एवं चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। कुछ राज्यों में इसके लिए नाममात्र शुल्क लिया जाता है। महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के वेहतर भागीदार हेतु इनसे कोई शिक्षा शुल्क नहीं लेते हैं ।

- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए संबद्ध राज्य / संघ शासित प्रदेशों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती हैं। राज्य सरकारों को शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% सीट आरक्षित करने तथा महिला उम्मीदवारों के लिए 25% सीट आरक्षित करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं तथा प्रत्येक राज्य / संघ शासित प्रदेश इन्हें सामान्य आरक्षण नीति के आधार पर भर सकता है। तथा कुल 50% तक आरक्षण किया जा सकता है। रक्षा कार्मिकों के आश्रितों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी संबंधित राज्यों में सरकारी सेवा में आरक्षित सीटों के अनुपात में आरक्षण किया गया है।
- चार केन्द्रीय आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (एमआईटीआई) में ब्राड-बेसड् माड्यूलर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के इस ढांचे में देश की बदलती हुई कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण मॉड्यूल्स को पुन: अनुकूल बनाने की सुविधा है।

उपलब्धियाँ / व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधार हेतु उठाए गए कदम

<u>औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों / औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलना</u>

28.3 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों / औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बनाए रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) द्वारा कई उपाय सुझाए गए जिनमें नए संस्थानों / व्यवसायों को आरम्भ करना तथा एनसीवीटी के साथ उनका संबंधन भी शामिल है।

- ❖ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का एनसीवीटी के साथ संबंध करने के लिए कड़े मानदंडों का अनुपालन किया जाता है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मूलभूत सुविधाएं, योग्यता प्राप्त स्टाफ इत्यादि की व्यवस्था है।
- ❖ संबंधन किए गए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों / औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है जिसमें ऐसे संस्थानों / व्यवसायों के असंबंधन का प्रावधान है जो निर्धारित मानक बनाए नहीं रख पाते।

- ❖ वर्ष 2003 के दौरान कुल 870 संबंधन निरिक्षण रिपोर्टों की जाँच की गई तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के मानदंडों की पुष्टि करने वाले व्यवसायों / एककों / संस्थानों को संबंधन प्रदान किया गया।
- ❖ वर्ष 2003 के दौरान 177 नए संस्थान खोले गए तथा 1610 व्यवसायों /इकाइयों को विद्यमान संस्थानों में शामिल किया गया जिसके परिणामस्वरूप योजना के तहत कुल सीट क्षमता में 25752 की वृद्धि हुई।

व्यवसाय आरंभ / समाप्त करना तथा पाठ्यचर्या में संशोधन करना।

- ❖ उद्योग में तेजी से बदलती हुई प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए विभिन्न व्यवसायों की पाठ्यचर्या में सम्बद्ध राज्य समितियों द्वारा आवधिक रूप से संशोधन किया जाता है। अप्रचलित व्यवसायों का समाप्त कर दिया गया है तथा उद्योग की आवश्यकता अनुरूप नए व्यवसायों को शामिल किया गया है।
- ❖ योजना के तहत 36 नए व्यवसाय आरंभ किए गए।
- ❖ पिछले दो वर्षों के दौरान 6 व्यवसायों की पाठ्यचर्या में संशोधन किया गया।
- ❖ 01.08.2003 से पाँच अप्रचलित व्यवसायों को समाप्त कर दिया गया।
- ❖ रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा 17 विद्यमान व्यवसायों को बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित करने की कार्रवाई आरंभ की गई। केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (सी-स्टारी) कोलकता द्वारा संशोधनों को कार्यान्वित किया जा रहा है।
- ❖ सूचना प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्र में "सूचना प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रॉनिक्स प्रणाली अनुरक्षण (आईटीईएसएम)" नामक एक व्यवसाय शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आरंभ किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वित्तीय सहायता द्वारा 100 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपर्युक्त व्यवसाय को आरंभ करने संबंधी योजना, 33 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आरंभ की गई है। इलैक्ट्रानिक्स मैकेनिक या मैकेनिक रेडियो एवं टी.वी. के वर्तमान व्यवसाय में सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा एवं संचार एवं कम्पयूटर के क्षेत्र में नवीनतम उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी।

28.4 योजना के तहत निम्नलिखित कार्रवाई पूरी की जा चुकी है।

1. 100 चुनिंदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को 5.5 करोड़ रूपये के कम्प्यूटर एवं घटक सहित उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है।
2. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी आई टी) द्वारा भारतीय इलैक्ट्रानिक्स डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीईडीटीआई), मोहाली को चुने गए प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के दो अनुदेशकों की दर से कुल 200 अनुदेशकों के प्रशिक्षित करने हेतु 45 लाख रूपए उपलब्ध करवाए गए हैं। पाँच अलग-अलग बैचों में सभी अनुदेशकों को प्रशिक्षित किया गया है।
3. सिमी द्वारा प्रशिक्षण के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष हेतु लिखित अनुदेशात्मक सामग्री (डब्ल्यू आई एम) प्रकाशित की जा चुकी है तथा प्रशिक्षुओं के प्रयोग हेतु उपलब्ध है।

❖ मॉंट्रियल प्रोटोकॉल (एमपी) जिसमें भारत भी एक हस्ताक्षरकर्ता है, ने उपायों को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि हस्ताक्षरकर्ता देश 2010 तक क्लोरोफ्ल्यूरो-कार्बन (सीएफसी) सहित सभी ओजोन ह्रासक तत्वों (ओडीएस) के उत्पादन तथा प्रयोग सीमित एवं समाप्त करें। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को पूरा करने के लिए भारत में अनेक रेफ्रीजरेटर निर्माता आजकल प्रशीतकों में सीएफसी के स्थान पर एचसी तथा एचएफसी-134-ए (इको फ्रैंडली प्रशीतकों) का उपयोग करते हैं तथा शेष निर्माता भी इको फ्रैंडली पद्धति का ही इस्तेमाल करेंगे।

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने विकास तथा सहयोग हेतु स्विस एजेंसी (एस डी सी) तथा पारिस्थितिकी प्रशीतन हेतु मानवीय एवं संस्थागत विकास (एच आई डी ई सी ओ आर) के सहयोग से हेतु शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत पारिस्थितिकी अनुकूल प्रशीतकों के घटक सहित मैकेनिक रेफ्रीजरेशन तथा एयर-कंडीशनिंग व्यवसाय के पाठ्यक्रम का संशोधन करने जैसे महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। नई पाठ्यचर्या 01.08.2003 से कार्यान्वित की जा रही है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा आदर्श प्रशिक्षण संस्थान हावड़ा, तथा हैदराबाद के लगभग 105 अनुदेशकों को इको- फ्रैंडली प्रशीतकों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा आदर्श प्रशिक्षण संस्थान, हावड़ा तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पूसा को एस डी सी द्वारा प्रशिक्षण उपकरण की आपूर्ति की गई।

28.5 उद्योग-संस्थान संबंध

- ❖ संस्थान प्रबंधन समिति (आई एम सी) की स्थापना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कार्य को बेहतर करने जैसे मशीनरी तथा उपकरणों के बेहतर रखरखाव, संकाय के प्रशिक्षण एवं विकास, केम्पस साक्षात्कार आयोजित करना, प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षुओं के रूप में नौकरी दिलाना, कार्य के दौरान प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना, औद्योगिक दौरों, राजस्व बढ़ाना, टूल एवं उपकरण का दान, व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं परामर्श इत्यादि हेतु की गई है। राज्य निदेशकों को उनके संबंधित राज्यों में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु आई एम सी स्थापित करने का अनुरोध किया गया है।
- ❖ उद्योग-संस्थान संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए 17 राज्यों में 292 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए संस्थान प्रबंधन समितियों (आई एम सी) की स्थापना की गई है जिसका परिणाम बहुत उत्साहपूर्वक रहा है ।

28.6 देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधा का विस्तार करने हेतु उठाए गए कदम:

- योजना आयोग ने 10 वीं योजनावधि के दौरान प्रतिवर्ष 10 मिलियन रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रोजगार चाहने वालों के लिए कौशल विकास अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। अतएव देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं का पर्याप्त विस्तार करने के लिए विद्यमान मूलभूत सुविधाओं को अधिकतम उपयोग करने हेतु, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा केन्द्रों हेतु प्रशिक्षण मैनुअल में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप द्वितीय पाली में विभिन्न शैक्षिक / अन्य संस्थान / पॉलीटेक्नीकों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं में अतिरिक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं का सृजन करने के लिए एक अभियान चलाया गया।
- ऐसे संस्थानों में प्रशिक्षुओं हेतु विशेष सत्र जनवरी 2003 से आंरभ हो गया है। अभियान आंरभ होने से 177 नए संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं तथा 1610 अतिरिक्त व्यवसायों / एककों को विद्यमान संस्थानों में शामिल किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कुल सीट क्षमता बढ़कर 25752 हो गई।

नई पहल

- राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना को पुनगर्ठित, सुदृढ़ एवं और अधिक विकसित करने के लिए विद्यमान राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन सी वी टी) तथा केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् (सी ए सी) का विलय करने का तथा अखिल भारतीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (ए आई सी वी टी) का गठन कर एक नए शीर्षस्थ निकाय (पर्याप्त सांविधिक अधिकार सहित स्वायत्त प्रकृति वाले) का गठन करने का प्रस्ताव है।

- कामगारों द्वारा अनौपचारिक माध्यमों से प्राप्त किए गए कौशलों के परीक्षण एवं प्रमाणीकरण हेतु एक नई योजना को कुल 2 करोड़ रू. के परिव्यय सहित 10 वीं योजना में आरंभ किया जा रहा है। निर्माण उद्योग विकास परिषद् पाँच केन्द्रों में निर्माण उद्योगों में कार्यरत 6000 कामगारों के कौशलों को प्रतिवर्ष प्रमाणित करने के लिए तैयार हो गया है। योजना को चुनिंदा राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से भी कार्यान्वित किया जाएगा।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की मैनुअल में बनाए गए मानकों के अनुरूप द्वितीय पाली में शैक्षणिक संस्थानों/पोलीटेक्नीकों तथा विशिष्ट व्यवसायों में आवश्यक मूलभूत ढाँचे वाले ऐसे ही अन्य संस्थानों में उपलब्ध मूल अवारंचना सुविधाओं का उपयोग करके देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र को खोलकर व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार हेतु अगस्त, 2003 में एक विशेष अभियान चलाया गया। 277 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए तथा 40,000 अतिरिक्त सीटों का सृजन कर 996 विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में द्वितीय पाली में पाठ्यक्रम आरंभ किए गए । शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत् संबंधित राज्यों द्वारा अभी तक शामिल नहीं किए गए 32,000 लघु प्रतिष्ठानों की शिक्षु अधिनियम के तहत् शामिल करने के लिए पहचान की गई है । सीट निर्धारण हेतु सर्वेक्षण कराने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है । केन्द्रीय क्षेत्र में शिक्षु सीटों का उपयोग 75% से बढ़कर 90% हो गया है ।
- रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के तहत् फील्ड संस्थानों में उपलब्ध विद्यमान मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि चार वर्षो में प्रशिक्षण क्षमता को दोगुना करने के लिए इस

संसाधनों का इस्टतम ढ़ग से उपयोग करने के सभी संभव प्रयास किए जाएंगे । तदनुरूप, वर्ष 2002 से क्षमता को प्रतिवर्ष 25% तक बढ़ाने के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन इन संस्थानों में द्वितीय पाली में अतिरिक्त अल्पकालिक पाठ्यक्रम, सप्ताहांत पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों का आरंभ कर प्रशिक्षण क्षमता के निर्धारित लक्ष्य में अधिक बढ़ाने हेतु प्रयास किए गए । परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान प्रशिक्षण क्षमता 13530 से बढ़कर 16945 अर्थात 25.24% हो गई । वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान 21934 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसमे से 29.02.2004 तक 93% के लगभग लक्ष्य प्राप्त किया गया । इन संस्थानों की प्रशिक्षण क्षमता के वित्तीय वर्ष 2005-06 से वार्षिक रूप से 2700 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य को पूरा करने की उम्मीद है ।

- राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, नौएडा तथा 10 क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं हेतु प्रशिक्षण क्षमता को 30% तक बढ़ा दिया गया इस संस्थानों में 38 अतिरिक्त प्रशिक्षण इकाईयों के चलाने से अर्थात विद्यमान 115 इकाइयों से बढ़कर 153 इकाई करने से इन सीटों में वृद्धि हुई । रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के तहत् संस्थानों में द्वितीय पाली सप्ताहांत/सांयकालीन पाठ्यक्रमों/अतिरिक्त पाठ्यक्रमों/टेलर मेड़ पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमो को आयोजित कर अतिरिक्त पाठ्यक्रम चलाए गए जिसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षित जनशक्ति में 50% की वृद्धि हुई ।

- प्रशिक्षण का उच्च स्तर प्राप्त करने में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के संस्थानों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना जगाने के लिए, सर्वक्षेष्ठ निस्पादन हेतु नकद ईनाम देने की योजना आरंभ की जा रही है । यह योजना उपरलिखित संस्थानों को शामिल करती है । इस योजना का उद्देश्य संकाय/स्टाफ को अभिप्रेरणा देने तथा ऐसे कार्मिकों के चुनाव करने से है जो अनुशासन समर्पण एवं कर्तव्य भावना के अच्छे उदाहरण हैं तथा सम्पूर्ण निस्पादन एवं कार्य संस्कृति में सुधार लाने का है । इस योजना के तहत ईनाम पाने वाले अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे अपने साथी कर्मियों में कुशलता के स्तर को बढ़ाकर उनमें विश्वास जगाएँ जिसके फलस्वरूप देश में गुणवतात्मक कार्यबल तैयार होगा । पुरस्कार एवं ईनाम योजना के तहत्, हर वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक श्रेणी के अधिकारियों/स्टाफ के 10% की पुरस्कृत किया जाएगा ।

- 30.60 करोड़ रू० की लागत से जम्मू एवं कश्मीर पर एक केन्द्र प्रवर्तित योजना आरंभ की गई । योजना आयोग के अनुमोदन से इस योजना को 100 करोड़ रू० की कुल लागत से कार्यान्वित की जा रही " पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना" नामक पूर्वोत्तर परियोजना के साथ मिला दिया गया है । उक्त विलयित योजनाओं की लागत 10वीं योजनावधि के दौरान 130.60 करोड़ रू० होगी । कुल 100 करोड़ रू० में से 38.01 करोड़ रू० की राशि को लोक कार्य के तहत 23.06 करोड़ रू० को उपकरण अधिप्राप्ति के तहत तथा 0.20 करोड़ रू० को तकनीकी सहायता योजना के तहत पहले ही मंजूर किया जा चुका है ।

28.7 श्रम शक्ति भवन में माननीय केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में 14 अक्तूबर, 2003 को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन सी वी टी) की 35वीं बैठक आयोजित की गई । निम्नलिखित प्रमुख निर्णय लिए गए :-

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 10 नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का, 8 कृषि क्षेत्र में कृषि संबंधित व्यवयास तथा चुनिंदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में बहु - कौशल पाठ्यक्रमों का आरंभ किया गया । दो अलोकप्रिय व्यवसायों का हटाया गया ।
- वैल्डर, कारपेंटर, फाउण्डरी मैन, एस.एम.वर्कर तथा फोर्जर एवं हीट-ट्रीटर व्यवसायों हेतु प्रवेश अर्हता को 10 वीं कक्षा पास से घटाकर 8 वीं कक्षा पास करना (जहाँ आवधिक परीक्षा 7 वीं कक्षा मे होती है वहाँ 7 वीं कक्षा पास)। आशुलिपि (हिन्दी) एवं सचिवालयीय पद्धति व्यवसायों हेतु प्रवेश अर्हता को 10 वीं कक्षा पास से बढ़ाकर 12 वीं कक्षा पास करना।
- प्रशिक्षण को लागत प्रभावी बनाने के लिए इंजीनियरिंग व्यवसायों हेतु स्थल एवं विद्युत के विद्यमान मानदंडों में कटौती करना। गैर-इंजीनियरिंग व्यवसायों के संबंध में स्थल संबंधी मानदंडों में पूर्ण लोचशीलता।
- राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् ने सूचना प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी सहित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता पाठ्यक्रम आरंभ करने पर विचार करने हेतु एक उप-समिति का गठन किया।

- राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् एवं राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के तहत् शामिल व्यवसायों हेतु पृथक प्रवेश एवं परीक्षा अनुसूची।
- केन्द्र तथा राज्य सरकारों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तहत अधीनस्थ पदों एवं सेवाओं में भर्त्ती के प्रयोजनार्थ मान्यताप्राप्त अर्हता के रूप में उच्च राष्ट्रीय तकनीशियन व्यवसाय प्रमाण-पत्र का अनुमोदन।
- सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आयु को 25 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष करना।
- राज्य सरकार को शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत 36 व्यवसाय आरंभ करने के लिए समर्थ बनाने के लिए, परिषद् ने इस बात को मंजूरी दी कि इन व्यवसायों जिनकी अवधि 6 माह है, में वर्ष में एक बार के स्थान पर वर्ष में दो बार अर्थात् अगस्त एवं फरवरी में प्रवेश दिया जाना चाहिए।

28.8 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत शिल्पकार प्रशिक्षण योजना:

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत निम्नलिखित संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है:

- ➢ लुधियाना, कोलकाता, हैदराबाद, मुम्बई एवं कानपुर स्थित प्रशिक्षण संस्थानों से संबद्ध छह आदर्श प्रशिक्षण संस्थान एवं चेन्नई स्थित केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान।
- ➢ नोएडा, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान।
- ➢ मुम्बई, बंगलौर, तिरूअनन्तपुरम, हिसार, कोलकाता, तुरा, इंदौर, इलाहाबाद, वडोदरा एवं जयपुर स्थित दस क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (आरवीटीआई)।
- ➢ चार आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (एमआईटीआई) माड्यूलर पद्धति पर निम्नलिखित तीन विशेष क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। माड्यूलर प्रशिक्षण में उद्योग की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण को पुनः अनुकूल बनाने की सुविधा है।
  - हल्द्वानी (उत्तर प्रदेश) एवं चौद्वार (उड़ीसा) में मेकैनिकल समूह के व्यवसाय।

- जोधपुर (राजस्थान) में हीट इंजन समूह के व्यवसाय।
- कालीकट (केरल) में इलैक्ट्रीकल एवं इलैक्ट्रानिक्स समूह के व्यवसाय।

व्यवसाय परीक्षण एवं प्रमाणीकरण

- रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के तत्वाधान में अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष जुलाई एवं जनवरी में किया जाता है।
- व्यवसाय परीक्षाओं में संबंधन प्राप्त व्यवसायों / इकाईयों के प्रशिक्षु तथा पात्र प्राइवेट उम्मीदवार बैठते हैं। सफल उम्मीदवारों को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं।
- केन्द्रीय / राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों में संगत पदों एवं सेवाओं में भर्ती हेतु राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण-पत्र एक मान्यता प्राप्त अर्हता है।
- राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् के तत्वाधान में जनवरी 2003 से दिसम्बर 2003 तक 25 अखिल भारतीय परीक्षाएं आयोजित की गईः-

शिल्पकारों हेतु अखिल भारतीय कौशल प्रतियोगिता

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों / औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षुओं में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना को जागृत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अखिल भारतीय कौशल प्रतियोगिता वर्ष 1964 में आरंभ की गई।
- 10 व्यवसायों अर्थात् इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इलैक्ट्रानिक्स मैकेनिक, वेल्डर, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक (मोटर वाहन), मोल्डर, इलैक्ट्रीशियन तथा कटाई एवं सिलाई में प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं ।
- राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् की सिफारिश पर सितम्बर माह में आयोजित इसकी 34 वीं बैठक के दौरान चार अतिरिक्त व्यवसायों नामतः कम्प्यूटर आपरेटर तथा प्रोग्रामिंग सहायक, नक्शानवीस (सिविल) नक्शानवीस (मैकेनिकल) तथा मैकेनिक डीजल को शिल्पकारों की अखिल भारतीय कौशल प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। शिल्पकारों हेतु 40वीं अखिल भारतीय कौशल प्रतियोगिता से तथा इसके पश्चात 140 व्यवसायों में आयोजित किए जाएंगे ।

- ❖ राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उपर्युक्त व्यवसायों के उत्कृष्ट प्रशिक्षु अखिल भारतीय कौशल प्रतियोगिता में भाग ले सकता है।
- ❖ अखिल भारतीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकारों में से प्रत्येक को योग्यता प्रमाण-पत्र और 10,000/-रू. का नकद पुरस्कार दिया जाता है।
- ❖ प्रत्येक व्यवसाय में सर्वश्रेष्ठ घोषित ऐसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को योग्यता प्रमाण-पत्र दिया जाता है, जिसके प्रशिक्षणार्थी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में प्रथम आए हैं।
- ❖ सर्वश्रेष्ठ राज्य को एक योग्यता प्रमाण-पत्र और रनिंग शील्ड प्रदान की जाती है, जिसके प्रशिक्षणार्थियों ने सभी व्यवसायों में सर्वाधिक कुल अंक प्राप्त किए हैं।
- ❖ जनवरी, 2003 में आयोजित 39 वीं अखिल भारतीय कौशल प्रतियोगिता में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया ।
- ❖ भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) 1989 से 'राष्ट्रीय कार्य कौशल प्रतियोगिता' आयोजित करता आ रहा है ताकि कौशलों में निपुणता की पहचान करके भारत में इंजीनियरिंग उद्योग में कामगारों को प्रोत्साहित किया जा सके तथा कामगारों को उनके कौशलों में वृद्धि करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जा सके। इलैक्ट्रीशियन, फिटर, औद्योगिक इलैक्ट्रॉनिक्स, मिलर, टूल एवं डाई मेकर, टर्नर एवं वेल्डर नामक सात व्यवसायों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। कौशल प्रतियोगिताओं का आयोजन रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के क्षेत्रीय संस्थानों में किया जाता है और इन्हें श्रम मंत्रालय की मान्यता प्राप्त है।

भूतपूर्व सैनिकों का प्रशिक्षण:

28.10 रक्षा सेवा के उन कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो सेवानिवृत होने वाले हैं या सेवानिवृत हो गए हैं। पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) के सहयोग से रक्षा मंत्रालय में उनके प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है:-

- डिफेंस सर्विस पर्सोनल के लिये प्री-कम-पोस्ट रिलिज ट्रेनिंग (पीसीपीआरटी)।
- डिफेंस सर्विस पर्सोनल के लिये ऑन-दी-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) स्कीम।

28.11 पूरे देश में स्थापित विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सेवानिवृत होने वाले सेवा कार्मिकों को 'पीसीपीआरटी' प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य सेवानिवृत होने वाले सेवा कार्मिकों को उपयुक्त व्यवसाय में कौशल उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र के रूप में मान्यता प्राप्त योग्यता हासिल हो सके। प्रशिक्षणार्थियों की प्रतिनियुक्ति डीजीआर द्वारा उनके सेवानिवृत होने से पहले की जाती है और सम्पूर्ण देश में स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से इस प्रयोजन हेतु 4000 सीटें निर्धारित की गई हैं।

28.12 'ऑन-दी-जॉब' ट्रेनिंग स्कीम 1981 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत् औद्योगिक उद्यमों द्वारा 10 विभिन्न व्यवसायों में डीजीआर के परामर्श से तैयार किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर सेवानिवृत होने वाले रक्षा सेवा के कार्मिकों के लिए कौशल प्रशिक्षण संबंधी विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं। प्रशिक्षण की अवधि 9 माह है। प्रशिक्षण पूरा होने पर, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय एनसीवीटी के तत्वाधान में अपने क्षेत्रीय संस्थानों में व्यवसाय परीक्षा आयोजित करता है तथा सफल प्रशिक्षुओं को व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाते हैं।

"सी पी एस ई के छंटनीशुदा कामगारों को परामर्श, पुनः प्रशिक्षण, पुनः नियोजन" योजना के तहत पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम

- सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डी पी ई) ने पूर्व योजना "राष्ट्रीय नवींकरण निधि" को वित्तीय वर्ष 2001-2002 में ले ली तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृति को अपनाया, अधिशेष घोषित किया गया अथवा संगठित क्षेत्र से छंटनीशुदा किया गया , के "छँटनीशुदा कामगारों के परामर्श , पुन: प्रशिक्षण तथा पुन: तैनाती" की एक नई योजना आरंभ की।
- उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को एक नोडल अभिकरण के रूप में लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के दौरान, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने सी पी एस ई के 1577 छँटनीशुदा कामगारों को प्रशिक्षित किया जिसमें से 1072 की मार्च 2003 तक पुन: तैनात किया गया दो वित्तीय वर्षों के दौरान 68.10 लाख रू. का व्यय हुआ।

- वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने सी पी एस ई के 981 युक्तियुक्त कामगारों को प्रशिक्षित किया। जिनमें से 892 कामगारों का मार्च, 2003 तक पुनः नियोजित किया गया। वित्तीय वर्ष के दौरान इन कामगारों के प्रशिक्षण में 41.41 लाख रू. खर्च किए गए।

24.07.2003 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सीट क्षमता सहित सरकारी व निजी औ.प्र.सं./औ.प्र. केंद्रों की क्षेत्रवार संख्या दर्शाती विवरणी

अनुबंध-28.1

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	सरकारी औ.प्र.सं. की संख्या	सीट क्षमता (सरकारी)	निजी औ.प्र.केंद्रों की संख्या	सीट क्षमता (निजी)	कुल औ.प्र. सं./औ.. प्र .केंद्र	कुल सीट क्षमता
	उत्तरी क्षेत्र						
1.	हरियाणा	**79**	13221	25	1428	104	14649
2.	हिमाचल प्रदेश	**55**	5169	8	580	63	5749
3.	जम्मू व कश्मीर	**38**	4332	0	32	38	4364
4.	पंजाब	**107**	14015	43	2604	150	16619
5.	राजस्थान	**90**	8976	32	2396	122	11372
6.	उत्तर प्रदेश	**184**	38420	119	11796	303	50216
7.	चंडीगढ़	**2**	984	0	0	2	984
8.	दिल्ली	**14**	9044	43	1844	57	10888
9.	उत्तरांचल	**35**	5192	16	1576	51	6768
	उप-योग	**604**	**99353**	**286**	**22256**	**890**	**121609**
	दक्षिणी क्षेत्र						
1.	आंध्र प्रदेश	**91**	23631	482	86898	573	110529
2.	कर्नाटक	**106**	18636	401	27808	507	46444
3.	केरल	**79**	14448	467	43785	546	58233
4.	तमिलनाडु	**67**	22508	613	61263	680	83771
5.	लक्षद्वीप	**1**	96	0	0	1	96
6.	पांडिचेरी	**7**	1256	7	424	14	1680
	उप-योग	**351**	**80575**	**1970**	**220178**	**2321**	**300753**
	पूर्वी क्षेत्र						
1.	अरूणाचल प्रदेश	**2**	368	0	0	2	368
2.	असम	**24**	4536	3	84	27	4620
3.	बिहार	**28**	10256	19	3288	47	13544
4.	झारखंड	**14**	2564	17	1636	31	4200
5.	मणिपुर	**7**	540	0	0	7	540
6.	मेघालय	**5**	622	2	304	7	926
7.	मिजोरम	**1**	294	0	0	1	294
8.	नागालैंड	**3**	404	0	0	3	404
9.	उड़ीसा	**27**	6432	142	12884	169	19316
10.	सिक्किम	**1**	140	0	0	1	140
11.	त्रिपुरा	**4**	400	0	0	4	400
12.	प. बंगाल	**48**	11924	14	756	62	12680
13.	अंडेमान व निकोबार द्वीप समूह	**1**	204	0	0	1	204
	उप-योग	**165**	**38684**	**197**	**18952**	**362**	**57636**
	पश्चिमी क्षेत्र						
1.	गोवा	**11**	2492	4	420	15	2912
2.	गुजरात	**135**	67524	119	15266	254	82790
3.	मध्य प्रदेश	**133**	19218	26	2332	159	21550
4	छत्तीसगढ़	**77**	8456	57	6200	134	14656
5.	महाराष्ट्र	**347**	65550	266	29218	613	94768
6.	दादर व नगर हवेली	**1**	228	0	0	1	228
7.	दमन व दीव	**2**	388	0	0	2	388

उप-योग	706	163856	472	53436	1178	217292
कुल योग	1826	3,82,468	2925	3,14,822	4751	6,97,290